

29/11/22

पत्रावली पेश हुई। वकील अध्यायिका उपर  
 पार्थ तहसीलदार उपस्थित। तहसीलदार द्वारा  
 पूर्व माइक्रो में थिज्डे नोटिफ पेश करने  
 बाबत निर्दिष्ट किया गया। पत्र के लिए भी  
 पेश नहीं किया गया। वकील अध्यायिका  
 ने इस बात का उल्लेख किया कि तहसीलदार  
 की समय उपरोक्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।  
 मामला पुनः ही वकील अध्यायिका  
 की बाबत रखी गई। पत्रावली का केवलोकन  
 किया गया। थिज्डे पत्रावली में मानवीय  
 न्यायपालिका राजस्व मंत्रालय ने फुल जेड एनवाय  
 करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः पार्थ का  
 पार्थनापत्र 09 R 2 2000 में ब्यापक किया  
 जाता है। पत्रावली के अलावा समय समय  
 बाद जाता कार्रवाई की संख्या से पत्र  
 मात्र दाखिल/रखत है।

शिकायाह इण्डिया  
 (जीएन) डिवाइज

उपखण्ड अधिकारी  
 रियांबडी (नागौर)